Machine Translated by Google

जागरूकता सृजन और प्रचार के लिए योजना

1 उद्देश्यों

क) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, मल्टीमीडिया के माध्यम से कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित व्यापक प्रचार करना। पीडब्ल्यूडी का कल्याण उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण सहित।

b) समान अवसर, समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में PwD के सामाजिक समावेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना और PwD में विश्वास निर्माण सुनिश्चित करना ताकि, वे अपनी आकांक्षाओं को महसूस कर सकें।

सी) संविधान, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 और अधीनस्थ कानून (ओं) में निहित पीडब्ल्यूडी के कानूनी अधिकारों के बारे में पीडब्ल्यूडी और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों के ध्यान में लाने के लिए।

डी) विशेष रूप से विशेष जरूरतों पर नियोक्ताओं और अन्य समान समूहों को संवेदनशील बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों।

ई) दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता को बढ़ावा देने और समाज को संवेदनशील बनाने के लिए, विकलांगता का कारण बनता है और शीघ्र पहचान आदि के माध्यम से रोकथाम करता है।

च) कानूनी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना पीडब्ल्यूडी के लिए प्रावधान और कल्याणकारी योजनाएं।

छ) विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के पुनर्वास के लिए सामग्री विकसित करना।

ज) हेल्पलाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

i) प्रभावी शिकायत निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

j) प्रतिष्ठित द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना विकलांग संगठन।

k) विकलांगों के मनोरंजन के लिए अनुकूल सुविधाओं के निर्माण या सुविधा के लिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन, शिक्षाप्रद, चिकित्सा धार्मिक पर्यटन, खेल आदि शामिल हो सकते हैं।

एल) सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना / सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना

Machine Translated by Google

एम) विकलांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना जैसे नौकरी मेले, अभियान, कौशल विकास आदि पर जागरूकता

एन) एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाकर सार्वभौमिक पहुंच के बारे में जागरूकता फैलाने का समर्थन करने के लिए जिसमें सुलभ भवन, सुलभ परिवहन, सुलभ वेबसाइटें और एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना शामिल है।

ओ) विकलांगता क्षेत्र के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

पी) के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित प्रासंगिक गतिविधि / गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकलांगता क्षेत्र।

2 दृष्टिकोण और रणनीति

योजना का दृष्टिकोण होगा: -

a) सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जागरूकता फैलाना।

बी) सुलभ वेबसाइट आदि का रखरखाव।

ग) सीधे सेमिनार, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, मेले, प्रदर्शनियां आदि आयोजित करना या सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों/संगठनों के माध्यम से।

घ) विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी।

ई) प्रौद्योगिकी, सहायक सहायता और उपकरणों आदि की उपलब्धता सहित पीडब्ल्यूडी की विशेष जरूरतों पर अध्ययन, सर्वेक्षण, गणना और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करना।

च) विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्र में किए गए प्रयासों का समन्वय और सुदृढ़ीकरण, संगठन।

छ) 'सामाजिक भलाई' और 'समुदाय कल्याण' के विकास के लिए कार्यरत स्वयं सहायता समूहों, अभिभावक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता।

ज) विशेष रूप से तैयार और निष्पादित कार्यक्रमों को दिखाने जैसी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए टीवी पर विकलांग, प्रदर्शन करने वालों को मानदेय, बोर्डिंग, लॉजिंग और परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण भुगतान पर शामिल लागत को वहन करके

i) विशेष आयोजनों का आयोजन, विशेष दिनों का उत्सव आदि।

j) स्वास्थ्य शिक्षा, आवास और उपकरणों के क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय की कमी उनकी प्रभावशीलता को कम करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी विकलांगता के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। ऐसी सभी पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए, एक अंतर-मंत्रालयी समिति जो सेवाओं के वितरण और रेफरल प्रणाली में सुधार, संयुक्त उद्यमों, संयुक्त वार्ता, साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए संगठनों में समन्वय कर सकती है।

Machine Translated by Google

विभाग के तहत ज्ञान और विशेषज्ञता, साझा विशेषज्ञ शिक्षक और प्रसार प्रणाली स्थापित की जा सकती है।

ट) पंचायती राज संस्था को जहां भी आवश्यक हो, शामिल किया जा सकता है।

एल) रोजगार मेलों सहित पीडब्ल्यूडी के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए जागरूकता अभियान का समर्थन करना।

एम) एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाकर सार्वभौमिक पहुंच के बारे में जागरूकता फैलाने का समर्थन करने के लिए जिसमें सुलभ भवन, सुलभ परिवहन, सुलभ वेबसाइटें और एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना शामिल है।

n) विकलांगता क्षेत्र के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

ओ) के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित प्रासंगिक गतिविधि / गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकलांगता क्षेत्र।

3 योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक

सरकार निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन स्वयं कर सकती है या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के लोगो के तहत इस तरह की गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर सकती है या उन पर विचार कर सकती है।

मैं। हेल्पलाइन

दिव्यांगजनों के अधिकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए केंद्र/राज्य सरकार के विभागों में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। सूचना के प्रसार, शिकायत की सुविधा, आर्थिक सशक्तिकरण की सुविधा आदि के लिए पीडब्ल्यूडी की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क केंद्र। हेल्पलाइन को बीपीओ / एनजीओ के माध्यम से बनाए रखा और संचालित किया जा सकता है। चूंकि एक हेल्पलाइन या सोशल मीडिया अभियान चलाने के लिए आवर्ती लागत की आवश्यकता होती है, आवर्ती लागत के अनुमोदन की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए।

लंबे समय में, हेल्पलाइन विकलांगों की शिकायतों को दर्ज करने और / या उनकी शिकायत दर्ज करने में भी मदद करेगी, जिसे बीपीओ द्वारा संबंधित अधिकारियों को भेजा जा सकता है।

द्वितीय. सामग्री विकास, प्रकाशन और न्यू मीडिया

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग विकलांगों, सिविल सोसाइटी और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले प्रकाशन, पैम्फलेट, हैंडआउट निकालेगा। प्रिंट सामग्री में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संगठनों द्वारा चलाई जा रही विकलांगता, विभिन्न पहलों और योजनाओं पर महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हो सकते हैं; कारणों, रोकथाम, निदान पर सामग्री; उपचार और पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता; प्रौद्योगिकियों पर सामग्री, विशेषज्ञता, लागत प्रभावी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और टिकाऊ एड्स, आदि विकसित करने के लिए अनुकूली अनुसंधान,

उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रिंट में न्यू मीडिया सहित प्रचार के सभी उपलब्ध प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल, ऑडियो/वीडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि प्रारूपों का उपयोग किया जाएगा।

Machine Translated by Google

सरकार इस पर भी विचार कर सकती है:-

क) सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित सामग्री/विकलांगता पर पुस्तक के लिए वार्षिक पुरस्कार।

ख) विभाग में एक अलग सेल द्वारा प्रकाशित होने वाली एक आवधिक पत्रिका, द्विमासिक (दो महीने में एक बार) जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों से उनकी सफलता की कहानियों, साहित्यिक सामग्री, पीडब्ल्यूडी से संबंधित वर्तमान गतिविधियों आदि के बारे में योगदान दिया जा सकता है। प्रकाशित।

ग) विकलांगता विशेषताओं जैसे व्यापकता, विकलांगता से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों, उपयोग और पुनर्वास सहित सेवाओं की आवश्यकता पर व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए समर्पित विकलांगता सर्वेक्षण आवश्यक होगा। इस तरह के सर्वेक्षण विकलांगता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के माध्यम से करवाए जा सकते हैं।

d) विश्वव्यापी के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह संकलित करने के लिए अध्ययन समूह का गठन करना परिसंचरण।

III. आयोजन

सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय पहल में भाग ले सकती है या गैर सरकारी संगठनों या स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन कर सकती है या विकलांगता क्षेत्र के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा दे सकती है या ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन कर सकती है जो उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे आयोजनों पर अनुमानित वार्षिक व्यय निम्नानुसार होगा:

(ए) राष्ट्रीय स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिसमें पुरस्कार और समर्थ आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय

ऐसे समारोहों में शामिल सभी लागतें। कार्यक्रमों में प्रतियोगिताएं आयोजित करना और पुरस्कार देना शामिल हो सकता है; जनता के देखने के लिए मंच प्रदर्शन; पीडब्ल्यूडी द्वारा पेंटिंग की प्रदर्शनियों और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए उत्पादों, फिल्म समारोहों आदि का आयोजन करना। कार्यक्रम भी केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं। विकलांगों के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए जागरूकता पैदा करने और अभियानों के लिए उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जैसे कि नौकरी मेले, कौशल अभिविन्यास, नौकरी परामर्श, आदि। पहुंच या कोई अन्य घटना या अभियान जो केंद्र और राज्य सरकार। पीडब्ल्यूडी के हित में लेना पसंद कर सकते हैं।

(बी) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

सीआरपीडी की प्रस्तावना स्वीकार करती है कि विकलांगता एक विकसित अवधारणा है, लेकिन इस बात पर भी जोर देती है कि विकलांगता विकलांग व्यक्तियों के बीच बातचीत और व्यवहार और पर्यावरणीय बाधाओं से उत्पन्न होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी साझेदारी में बाधा डालती हैं।

निःशक्तता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप निःशक्त व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक व्यवहार हो सकता है; विकलांग बच्चों और वयस्कों पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कम आत्मसम्मान और कम भागीदारी जैसे नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। जो लोग महसूस करते हैं

Machine Translated by Google

अपंगता के कारण उत्पीड़ित कभी-कभी स्थानों पर जाने, अपनी दिनचर्या बदलने या यहां तक कि अपने घरों से बाहर निकलने से बचते हैं।

सामाजिक विपणन के माध्यम से कलंक और भेदभाव का मुकाबला किया जा सकता है। कलंक से निपटने के लिए रणनीति बनाने की दृष्टि से सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।

(सी) एनजीओ कार्यक्रम:

योजना के तहत पारस्परिक संचार, नुक्कड़ नाटकों, फिल्म शो, रोड शो आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयं सहायता और वकालत समूहों, माता-पिता की भागीदारी और विकलांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए समुदाय को एकजुट करने पर विचार किया जा सकता है; विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए व्यक्तिगत या समूह आधारित शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक, सहायता सेवाएं प्रदान करना।

इस तरह की गतिविधियों के लिए रेखांकित विषय यह होगा कि सार्वभौमिक रूप से, संस्थागत आधारित सेवाओं को स्वतंत्रता और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में सीमित सफलता मिली है। जहां सामुदायिक सेवाएं मौजूद हैं, वहां दिव्यांगों के पास विकल्प और उन पर नियंत्रण का अभाव है। विकलांग व्यक्ति अक्सर पेशेवरों के साथ संबंधों को असमान और संरक्षण के रूप में देखते हैं। इस तरह के रिश्ते भी अवांछित निर्भरता की ओर ले जाते हैं। विकलांगता अधिकार संगठनों, समुदाय आधारित पुनर्वास संगठनों, स्व-समर्थन समूहों या अन्य सामूहिक नेटवर्क के माध्यम से एक सहयोगात्मक प्रयास विकलांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने में सक्षम बना सकता है। स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं, श्रम बाजार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक, विकलांगता सामाजिक बीमा लाभ, सामाजिक सहायता, विकलांगता लाभ, सहायक उपकरण प्रदान करने, परिवहन के लिए रियायती पहुंच जैसी आर्थिक गतिविधियों में शामिल संगठनों के लिए योजना के तहत धन उपलब्ध कराया जा सकता है। , सब्सिडी वाली उपयोगिता, सांकेतिक भाषा दुभाषिया सहित सहायता सेवाएं। सामाजिक अलगाव, तनाव प्रबंधन आदि सहित गैर-आर्थिक गतिविधियों को भी इस योजना के तहत वित्त पोषित किया जा सकता है। विकलांगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए जा सकते हैं जैसे कि नौकरी मेले, नौकरी परामर्श, आदि। एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाकर सार्वभौमिक पहुंच के बारे में जागरूकता फैलाना जिसमें सुलभ भवन, सुलभ परिवहन, सुलभ वेबसाइट और एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना शामिल है। और कौशल विकास या सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मीडिया/सोशल मीडिया अभियान चलाना।

(घ) उपरोक्त संगठनों द्वारा आयोजित राज्य/जिला स्तरीय कार्यक्रम

चतुर्थ। स्वयंसेवी सेवा / संवेदीकरण, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं के लिए आउट-रीच कार्यक्रम

विकलांगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अब तक सार्वजनिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निजी क्षेत्र, विशेष रूप से दुकानों और छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ऐसे व्यक्तियों को कर्मचारियों के रूप में शामिल करने की एक विशाल क्षमता है। स्वयंसेवकों के माध्यम से या नियोक्ताओं के प्रोत्साहन के माध्यम से छोटे प्रतिष्ठानों को संवेदनशील बनाकर 'हर एक ले लो' के विचार को लागू किया जा सकता है। स्वयंसेवकों के माध्यम से क्षेत्रवार/बाजारवार प्रचार अभियान चलाया जा सकता है।

वी. मनोरंजन और पर्यटन

Machine Translated by Google

मनोरंजन, यात्रा, और सैर-सपाटे, चाहे वह विश्राम, परिवर्तन, उपचार, मनो-धार्मिक राहत या शिक्षा के लिए हो, मनुष्य के मनोविज्ञान पर एक सिद्ध प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए PwD कोई अपवाद नहीं हो सकता है। यात्रा और पर्यटन से एक्सपोजर मिलता है और इस प्रकार दुनिया भर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा, खेल और ओलम्पिक गतिविधियां भी विकलांगों के बीच प्रतिभा और कौशल को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें आयोजनों, जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से समर्थन दिया जाना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले संस्थान / गैर सरकारी संगठन भी योजना के तहत नीचे उल्लिखित सीमा तक अनुदान के लिए पात्र होंगे:

(मैं)। पर्यटन और अन्य स्थलों/गंतव्यों की पहचान, पर्यावरण जो बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित कर सकता है और ऐसे स्थानों पर भ्रमण के लिए समूहों को ले जा सकता है।

(ii)। नियमित अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों की पहचान, जहां किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति चिकित्सीय/उपचार लाभ या सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं; और इस उद्देश्य के लिए योजना पैकेज।

(iii)। ऐसे केंद्रों की पहचान या विकास जहां विकलांग सहायक उपकरणों के उपयोग के साथ या बिना उनकी क्षमता के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी/अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

(iv)। उपरोक्त गंतव्यों को सुलभ बनाना।

(वी)। संगीत, पठन, चित्रकला, खेलकूद आदि जैसी पुन: निर्माण सुविधा का सृजन करना।

VI. सामुदायिक रेडियो में भागीदारी:

गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के मालिक और/या संचालन करने वाले समर्थन समूह और अन्य गैर-लाभकारी संगठन जो पीडब्ल्यूडी के सामाजिक सशक्तिकरण और पीडब्ल्यूडी के बीच जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों के उत्पादन में भाग ले रहे हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जैसा कि समिति द्वारा तय किया जा सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप।

सातवीं। प्रेस/मीडिया यात्राएं और अन्य मीडिया विशिष्ट गतिविधियां

इस गतिविधि में पीडब्ल्यूडी के लिए मीडिया को संवेदनशील बनाने सहित प्रेस / मीडिया टूर, मीडिया वर्कशॉप और अन्य विशिष्ट मीडिया गतिविधियां शामिल होंगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार की प्रचार इकाइयां शामिल होंगी। इस उद्देश्य के लिए डीएवीपी के फिल्म प्रचार विभाग के गीत और नाटक प्रभाग का उपयोग किया जा सकता है।

आठवीं। ट्रेडमार्क राजदूत

सरकार इस योजना के तहत पूरी गतिविधि को गति देने के लिए एक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने पर विचार कर सकती है।

4 (ए) अनुदान / वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

Machine Translated by Google

i) स्वयं सहायता समूह

ii) वकालत और स्वयं वकालत संगठन।

iii) माता-पिता और सामुदायिक संगठन जो लामबंदी के लिए काम कर रहे हैं और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं

iv) मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समर्थन सेवा

v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन

vi) विकलांग क्षेत्र के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन जिनमें श्रम बाजार कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता सेवाएं प्रदान करना, तनाव प्रबंधन और विकलांगों को सामाजिक अलगाव उन्मूलन शामिल हैं।

vii) केंद्र / राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संगठन। समेत विभाग, विश्वविद्यालय, संस्थान, कॉलेज आदि।

(बी) पात्रता मानदंड

(i) 4 (ए) के तहत संगठनों के लिए एक पंजीकृत संगठन के रूप में कम से कम तीन साल, जिसमें सोसायटी अधिनियम 1860 के पंजीकरण के तहत संगठन, या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 या धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1920 या एक निगम के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट शामिल है। धारा 8 कंपनी अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत या केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत।

(ii) संगठन को गैर-लाभकारी और गैर-लाभकारी संगठन होना चाहिए या धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आय का उपयोग करना चाहिए।

(iii) केंद्र / राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संगठन। विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित या धारा 8 कंपनी अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत निगम या केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत को पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण की शर्तों से छूट दी गई है।

(iv) पिछले तीन वर्षों में विधिवत लेखा परीक्षित और उचित रूप से बनाए गए खाते और आयकर रिटर्न और प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट।

(v) प्रासंगिक गतिविधि जिसके लिए अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई है, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गतिविधियों में से एक के रूप में दिखाई देनी चाहिए।

(vi) केवल उन्हीं संगठनों पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है जिनका संबंधित क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।

(vii) गैर सरकारी संगठनों के मामले में, राज्य सरकार की सिफारिश। प्रस्ताव के लिए आवश्यक है।

Machine Translated by Google

(सी) संगठनों द्वारा सहमति के लिए नियम और शर्तें: -

i. गैर सरकारी संगठनों के मामले में, संगठनों को नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रस्ताव के साथ अपना विशिष्ट आईडी नंबर जमा करना होगा।

द्वितीय एक प्रमाण पत्र कि संगठन को अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी एक ही घटक।

iii. घटना से आय, यदि कोई हो, के लेखा परीक्षित खातों में दिखाई जाएगी संगठन।

iv. संस्था द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के लिए पृथक बैंक खाता खोला जायेगा।

v. सभी लेनदेन रुपये से अधिक। 20,000/- का भुगतान संगठन द्वारा अकाउंट पेयी चेक/ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा।

vi. ऐसे किसी भी कार्यक्रम/कार्यक्रम में स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (माननीय सांसद, विधायक आदि) और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठन और सीडी के रूप में दस्तावेज और उनके कार्यक्रम की तस्वीरें भेजें।

vii. संगठन के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब वह गतिविधियों, तिथियों, स्थान, प्रतिभागियों, मदवार बजट घटकों और कार्यक्रमों के परिणाम का विवरण प्रदान करता हो।

viii. एनजीओ एक वेबसाइट बनाए रखेगा और प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण, उसका उद्देश्य, आयोजित कार्यक्रम और प्रतिभागियों की सूची तस्वीरों और वीडियो के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।
एनजीओ प्रत्येक प्रस्ताव के साथ एक स्व-घोषणा भी प्रस्तुत/प्रस्तुत करेगा कि संगठन को किसी सक्षम एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

ix. संगठन विभाग द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी/तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

एक्स। जीआईए और बजट अनुमान के बीच के अंतर को संगठन द्वारा वहन किया जाना चाहिए और संगठन को इस संबंध में एक लिखित पुष्टि प्रदान करनी होगी। हालांकि, यदि संगठन प्रस्ताव के लिए बजट अनुमान और विभाग की जीआईए समिति द्वारा अनुशंसित जीआईए के बीच अंतर को सहन करने में असमर्थ है, तो संगठन द्वारा जीआईए समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना है।

5 कार्यक्रम प्रबंधन

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के सभी प्रस्तावों को संभाग स्तर पर जांच के बाद उपरोक्त व्यापक मानकों के भीतर दी जाने वाली सामग्री और वित्तीय सहायता की मात्रा के अनुमोदन के लिए एक समिति के समक्ष रखा जाएगा।

Machine Translated by Google

समिति का गठन इस प्रकार होगा।

क्रमांक सं. अधिकारी		भूमिका
(ग)	संयुक्त सचिव (जागरूकता और प्रचार) अध्यक्ष	
(ii)	आईएफडी . के प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	डीएवीपी के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv) निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत दिव्यांगजनों/प्रतिनिधि समूहों/संगठनों में से एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति		सदस्य
(वी)	निदेशक / डीएस (जागरूकता और प्रचार) सदस्य सचिव	

समिति आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के बीच निधियों के पुनर्समायोजन/विनिमय की सिफारिश भी कर सकती है। विभिन्न घटकों के तहत निधियों के उपयोग में अंतर परिवर्तन, ताकि किसी विशेष घटक के तहत वास्तविक आवश्यकता के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और/या विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा सके। प्रस्ताव की वैधता समिति द्वारा दी गई मंजूरी की तारीख से छह महीने की होगी।

6 निधियों की स्वीकृति और जारी करना

योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन में संगठनों से मांगा जाता है
निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक)

सभी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और सभी संवितरण के बाद जारी की जाएंगी
आईएफडी की सहमति से किया जाएगा।

(ए) शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स (एक बार की घटनाएं या प्रोजेक्ट जो 6 महीने की अवधि से अधिक न हों):

भुगतान दो किश्तों में निम्नानुसार किया जाएगा:

75% -अनुमोदन, स्वीकृति, आवश्यक बांड निष्पादित करने आदि पर।

25% - अंतिम रिपोर्ट और पहली किस्त के लिए यूसी प्राप्त होने पर, मद-वार व्यय के साथ लेखा का लेखा-जोखा विवरण।

(बी) दीर्घकालिक परियोजनाएं (6 महीने और अधिक अवधि की परियोजनाएं)

भुगतान तीन किश्तों में निम्नानुसार किया जा सकता है:

अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने / बांड के निष्पादन आदि पर 40%।

40% - प्रगति की समीक्षा के बाद, पहली किस्त की यूसी की प्राप्ति।

20% - अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पूरी राशि के लिए यूसी, और मद-वार व्यय के साथ लेखा परीक्षित विवरण।

Machine Translated by Google

7. विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्त पोषण के लिए लागत सीमा/लागत मानदंड*

एसएन	अवयव	लागत सीमा
(i)	हेल्पलाइन	वास्तविक या प्रचलित बाजार दर या एनआईसीएसआई / सरकार के अनुसार। एजेंसियों की दरें, जो भी कम हो।
(ii)	सामग्री विकास, प्रकाशन और न्यू मीडिया	वास्तविक या प्रचलित बाजार दर या डीएवीपी दरों के अनुसार, जो भी कम हो।
(iii)	घटनाएँ	वास्तविक या प्रचलित बाजार दर या सरकार की दरों के अनुसार। एजेंसियां, जो भी कम हो।
(iv)	संवेदनशील बनाने के लिए स्वयंसेवी सेवा / आउट-रीच कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और नियोक्ता	वास्तविक या प्रचलित बाजार दर या सरकार की दरों के अनुसार। एजेंसियां, जो भी कम हो।
(v)	मनोरंजन और पर्यटन	वास्तविक या प्रचलित बाजार दर या सरकार की दरों के अनुसार। एजेंसियां, जो भी कम हो।
(vi)	समुदाय में भागीदारी रेडियो	वास्तविक या प्रचलित बाजार दर या डीएवीपी दरों के अनुसार या (vii) प्रेस/ मीडिया दौरों और अन्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के
अनुरूप।	मीडिया विशिष्ट गतिविधियाँ	

वास्तविक या प्रचलित बाजार दर के मामले में, संगठन को पूरे औचित्य के साथ प्रस्ताव भेजना है।

*जब इस योजना के तहत कोई गतिविधि सीधे संस्थाओं द्वारा की जाती है
केंद्र / राज्य सरकार, वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार धनराशि स्वीकृत और जारी की जाएगी।

8. योजना का मूल्यांकन

योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा की जायेगी तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार संशोधन/संशोधन किया जायेगा।

****

Machine Translated by Google

जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

से: दिनांक:

प्रति

संयुक्त सचिव,
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन),
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय: जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना के तहत सहायता

मैं, ------------------------- रुपये के अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन जमा करता हूं। ------------- जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने योजना के नियमों और विनियमों को पढ़ लिया है और मैं प्रबंधन की ओर से उनका पालन करने का वचन देता हूँ। मैं आगे निम्नलिखित शर्तों के लिए सहमत हूं: -

(i) इस प्रकार दिए गए अनुदान का लेखा-जोखा उचित रूप से और अलग से रखा जाएगा। सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के लिए खाते हमेशा खुले रहेंगे। भारत की या राज्य सरकार की। वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अपने विवेक पर एक नमूना जांच के लिए भी खुले होंगे।

(ii) यदि राज्य या केंद्र सरकार। यह मानने के कारण हैं कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, सरकार। भारत सरकार आगे की किश्तों के भुगतान को रोक सकती है और पहले के अनुदानों की वसूली इस तरह से कर सकती है जैसा वे तय कर सकते हैं।

(iii) संस्था योजना के कार्यान्वयन में उचित मितव्ययिता का प्रयोग करेगी।

(iv) जीआईए और बजट अनुमान के बीच का अंतर संगठन द्वारा वहन किया जाना चाहिए और संगठन को इस संबंध में एक लिखित पुष्टि प्रदान करनी होगी। हालांकि, यदि संगठन प्रस्ताव के लिए बजट अनुमान और विभाग की जीआईए समिति द्वारा अनुशंसित जीआईए के बीच अंतर को सहन करने में असमर्थ है, तो संगठन द्वारा जीआईए समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना है।

(v) संगठन PwD अधिनियम के तहत पंजीकृत है और उसके पास वैध PwD प्रमाणपत्र है।

(vi) राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की जाती है।

Machine Translated by Google

(vii) संगठन नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकृत है और प्रस्ताव के साथ अपना विशिष्ट आईडी नंबर जमा करें।

(viii) संगठन मदवार व्यय के साथ लेखा का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ix) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खाते और आयकर विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(x) संगठन को उसी घटक के लिए अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न है।

(xi) घटना से आय, यदि कोई हो, लेखापरीक्षित खातों में दिखाई जाएगी।

(xii) इस विभाग से प्राप्त जीआईए के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाएगा।

(xiii) रुपये से अधिक के सभी लेनदेन। 20,000/- का भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा। ईसीएस

(xiv) संस्था निःशक्तजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बैनर तले निर्धारित तरीके से एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद एवं विधायक को व्यापक प्रचार एवं सूचना देने के बाद कार्यक्रम आयोजित करेगी।

आपका विश्वासी,

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) (कार्यालय स्टाम्प)

नोट: जहां लागू न हो, कृपया लिखें: लागू नहीं

Machine Translated by Google

अनुबंध- IV

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

योजना का नाम:

1. संगठन

नाम :

पता (कार्यालय) :

(परियोजना)

फोन (कार्यालय) :

(परियोजना)

फैक्स (कार्यालय) :

(परियोजना)

ई-मेल (कार्यालय) :

(परियोजना)

2. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

(i) पंजीकरण की सत्यापित प्रति

(ii) विकलांग अधिनियम के तहत पंजीकरण की सत्यापित प्रति।

(iii) विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत पंजीकरण (हां/नहीं)

(iv) एसोसिएशन और उपनियमों का ज्ञापन

(v) पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें बैलेंस शीट (रसीद और भुगतान खातों सहित), आय और व्यय खाता होना चाहिए।

(vi) प्रस्ताव के लिए जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार की सिफारिश।

Machine Translated by Google

(vii) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खाते और आयकर विवरणी

3. उस परियोजना का विवरण जिसके लिए सहायता अनुदान लागू किया जा रहा है।

4. की अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त जीआईए का विवरण

राज्य सरकार .... केंद्र सरकार .... अन्य

सूत्रों ....

5. मैंने योजना को पढ़ लिया है और योजना की आवश्यकता और शर्तों को पूरा करता हूं। मैं योजना की सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं। मैं यह भी मानता हूं:

(ए) धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(बी) के तहत मंत्रालय से प्राप्त निधियों के लिए एक अलग खाता रखा जाएगा यह योजना।

हस्ताक्षर .... नाम .... पता ....।

....

....दिनांक.............................(मुहर).................

नोट: जहां लागू न हो, कृपया लिखें: लागू नहीं

Machine Translated by Google

अनुबंध- V

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

योजना का नाम:

1. 2 . के लिए आवेदन पत्र रा / तीसरी किस्त

संगठन

नाम :

पता (कार्यालय) :

(परियोजना)

फोन (कार्यालय) :

(परियोजना)

फैक्स (कार्यालय) :

(परियोजना)

ई-मेल (कार्यालय) :

(परियोजना)

2. सहायता अनुदान (रुपये में) कुल:

ए। चालू वर्ष में लागू :
बी। पहली किस्त के रूप में प्राप्त :
सी। दूसरी किस्त के लिए आवेदन किया :

(मैं) आवेदक संगठन को 1 . का उपयोग प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए / दूसरा किश्त।

(ii) मदवार व्यय के साथ लेखा का लेखापरीक्षित विवरण। घटना से आय, यदि कोई हो, लेखापरीक्षित खातों में दर्शाई जानी चाहिए।

(iii) संगठन द्वारा आवश्यक या मांगी गई कोई अन्य जानकारी।

Machine Translated by Google

हस्ताक्षर..............................नाम............................पता.............................
....

दिनांक..........................(मुहर)..................